राजस्थान सरकार

# ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

## (पंचायती राज)

क्रमांक एफ 4(1) पराविं/पीसी/निरायो/2011/पार्ट।।/308 जयपुर, दिनांकः 13.3.2013

**(संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या – 42 /2012–13)**

इस विभाग के पूर्व पत्र क्रमांक एफ4(1) पराविं/पी.सी./निरायो/2011/पार्ट–।।/1734 दिनांक 27.12.2012 द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 16/2012–13 एवं वित्त विभाग (आय–व्ययक अनुभाग) की स्वीकृति क्रमांक प.4(232)वित्त–1(1)आ.व्यय/2010/ जयपुर, दिनांक 9.1.2013 द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष की वर्ष 2011–12 की शेष राशि रूपये 7,02,03,600/ (अक्षरे राशि रू. सात करोड दो लाख तीन हजार छ सौ मात्र) जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के **पी.डी. खातों में** हस्तान्तरण किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी । जिसमें से **बजट मद** –मांग संख्या 41–2515–197–(10)–[02]–12–(आयोजना) में पंचायत समितियों के **पी.डी. खातों** में राशि रूपये 5,61,59,000/– हस्तांतरण किया जाना था ।

उक्त स्वीकृति के साथ पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में राशि हस्तांरण हेतु संलग्नक सारणी "ब" में राशि रूपये 5,61,59,000/– के स्थान पर राशि रूपये 56,15,900/– की सूची सहवन से टंकण त्रूटिवश गलत अंकित कर प्रेषित की गई है । उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ संलग्न सारणी "ब"( राशि रूपये 56,15,900/– ) के स्थान पर संशोधित सारणी "ब" ( राशि रूपये 5,61,59,000/– ) पढ़ा जावे ।

**संलग्न :–1.** कोषालयवार एवं पंचायत समितिवार संशोधित सारणी "ब"–पृ.1से8
2. कोषालयवार एवं पंचायत समितिवार अंतर राशि का विवरण पृ.1से16

**शासन सचिव एवं आयुक्त**

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आय–व्ययक) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव ,वित्त (व्यय–5) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव ,वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग।
5. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
6. संबंधित कोषाधिकारी को भेजकर अनुरोध है कि उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ संलग्न संशोधित सारणी "ब" ( राशि **रूपये 561.590 लाख** ) के आधार पर **संबंधित** पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में राशि हस्तांतरण कराने की कार्यवाही करावें । इस संबंध में **कोषालयों को** IFMS के जरिये अंतर राशि **रूपये 505.431 लाख** आवंटित किए जा रहे हैं । कोषालयवार एवं पंचायत समितिवार अंतर राशि की सारणी भी संलग्न **है** ।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त को भेजकर अनुरोध **है** कि उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ संलग्न **संशोधित** सारणी "ब" ( राशि **रूपये 561.590 लाख** ) के आधार पर आपकी जिले की पंचायत समितियों के **पी.डी. खातों** में राशि हस्तांतरण कराने हेतु संबंधित विकास अधिकारी को निर्देशित करावें ।
8. लेखाधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त को भेजकर लेख है कि उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ संलग्न **संशोधित** सारणी "ब" ( राशि **रूपये 561.590 लाख** ) के आधार पर आपकी पंचायत समिति के **पी.डी. खाते** में राशि हस्तांतरण कराने हेतु संबंधित कोष कार्यालय स्तर से कार्यवाही करावें ।।
10. सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन/रक्षित पत्रावली।

13/3

**अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.)**